

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 482023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./03-09/2010/751 भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री रमेश कुमार घोड़के, लेखापाल (UNIQUE CODE- AE6905)	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, आमला, जिला बैतूल (DISE CODE-233501OBS01)	छिन्दवाड़ा
2	श्री हेमन्त कुमार भट्ट, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- AH8393)	शा. उ.मा.वि. बासाकला विकास खण्ड पथरिया जिला दमोह (DISE CODE-23120277703)	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर (DISE CODE-231110ORS01)
3	श्री सतीश कुमार रैकवार, भृत्य (UNIQUE CODE- BP3240)	शा. उ.मा.वि. पिपलियारावजी जिला नीमच (DISE CODE-23180577711)	सागर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

निरंतर . . .


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./03-09/2010/752
प्रतिर्लिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-बैतूल/छिन्दवाड़ा/दमोह/नीमच/सागर, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग नर्मदापुरम (होशंगाबाद)/उज्जैन/सागर, म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- बैतूल/छिन्दवाड़ा/दमोह/नीमच/सागर, म.प्र.।
8. कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, आमला, जिला बैतूल।
9. प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. बासाकला विकास खण्ड पथरिया जिला दमोह।
10. प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. पिपलियारावजी जिला नीमच
11. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 01-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 14 / 2010 / 753

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री पतिराम धुर्वे, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE- BK2895)	कार्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र राहतगढ़ जिला सागर (DISE CODE- 231108OBS02)	होशंगाबाद
2	श्री हरीश कुमार पटेल, लेखापाल (UNIQUE CODE- AE9141)	शासकीय बालक उ.मा.वि. आमला जिला बैतूल (DISE CODE-23350177701)	होशंगाबाद
3	श्री सुभाष सातनकर, भृत्य (UNIQUE CODE- BE8804)	शा.मा.शाला बन्द्रावठा, जिला विदिशा (DISE CODE- 23310307502)	बैतूल

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।


3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./14/2010/754
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-सागर/होशंगाबाद/विदिशा/बैतूल, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग होशंगाबाद/भोपाल/सागर, म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सागर/होशंगाबाद/विदिशा/बैतूल, म.प्र.।
8. प्राचार्य, शासकीय बालक उ.मा.वि. आमला जिला बैतूल।
9. कार्यालय, जनपद शिक्षा केन्द्र राहतगढ़ जिला सागर।
10. प्रधानाध्यापक, शा.मा.शाला बन्द्रावठा, जिला विदिशा।
11. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583673 फ़ैक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./16/2010/755

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	कुमारी अर्चना तिवारी, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- BK2191)	कार्या जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कटनी (DISE CODE-233802ODS01)	सतना
2	श्री आनन्दीलाल राठौर, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-BJ9348)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ (DISE CODE- 232408ODS01)	कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीराजपुर जिला अलीराजपुर (DISE CODE-232408IDS01)
3	श्री राजेश नागर, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- bk5091)	कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीराजपुर जिला अलीराजपुर (वर्तमान में जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ में प्रतिनियुक्ति पर) (DISE CODE- 232408IDS01)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ (DISE CODE- 232408ODS01)

आप
सी
स्था
नां
रण

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुरितफा से स्थापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

निरंतर ...

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।




आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./16/2010/756

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला-कटनी/सतना/झाबुआ/अलीराजपुर, म.प्र. ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग जबलपुर/रीवा/इन्दौर, म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-कटनी/सतना/झाबुआ/अलीराजपुर, म.प्र. ।
8. प्राचार्य, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीराजपुर जिला अलीराजपुर ।
9. कार्यालय, जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ ।
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 10 / 2010 / 757

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री राजेश उचारिया, सहायक ग्रेड-1 (गणक) (UNIQUE CODE- BG1805)	शा.कन्या उ.मा.वि. मो जिला भिण्ड (DISE CODE-23030777704)	ग्वालियर
2	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-1 (UNIQUE CODE- AB2498)	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बुदनी, जिला सीहोर (DISE CODE- 23330277702)	होशंगाबाद
3	श्री लालकुमार सिंह, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE-BC4445)	शा.उ.मा.वि.पनवार, जिला-सीधी (DISE CODE- 23170677712)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली (DISE CODE- अप्राप्त)
4	श्री लक्ष्मी नारायण पटेल, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE- AW1848)	शा.उ.मा.वि.सभागंज, जिला सतना (DISE CODE-23130277706)	जिला शिक्षा अधिकारी, सतना (DISE CODE- अप्राप्त)
5	श्री इकबाल अहमद खॉन सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- अप्राप्त)	कार्या. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी छपारा, सिदनी (DISE CODE- अप्राप्त)	रायसेन
6	श्री कच्छेदी लाल लखेरा, भृत्य (UNIQUE CODE- AV9001)	कार्या. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नागौद जिला सतना (DISE CODE-231304OBS01)	पन्ना
7	श्री हरिशंकर भार्गव, भृत्य (UNIQUE CODE-BO5315)	शा. कन्या उ.मा.वि. जिला श्योपुर (DISE CODE-23010926302)	शिवपुरी
8	श्री अभिषेक सिंह राजपूत, भृत्य (UNIQUE CODE-BQ1140)	शा.उ.मा.वि. जावी जिला नीमच (DISE CODE- 23180777704)	दमोह
9	श्री द्वारिका प्रसाद सिंह गौड़, भृत्य (UNIQUE CODE- AW9316)	शा.पूर्व मा.वि. कांकर जिला रीवा (DISE CODE-23140608706)	शहडोल
10	श्री मनोज यादव, भृत्य (UNIQUE CODE- BR4360)	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नीमच (DISE CODE-2318077770)	बैतूल
11	श्री राजेश यादव, भृत्य (UNIQUE CODE- अप्राप्त)	शा.क.उ.मा.वि. बाग जिला धर (DISE CODE- अप्राप्त)	देवास
12	श्री हेमराज सिंह भृत्य (UNIQUE CODE- BJ9537)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शहडोल (DISE CODE- 231612ODS01)	टीकमगढ़

2/ उक्त जिला सवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।


3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनाय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./10/2010/758
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला, कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र.।
8. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 21 / 2010 / 759

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री मनोज कुमार तिवारी, लेखापाल (UNIQUE CODE-AS8720)	शा.उ.मा.वि. द्वारी, जिला पन्ना (DISE CODE-23100266603)	सागर
2	श्रीमती गुंजन क्रांति, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- AU9610)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ (DISE CODE-233001ODS01)	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर (DISE CODE-230405ORS01)
3	श्री लोकेन्द्र सिंह देवड़ा, भृत्य (UNIQUE CODE- BO3810)	शा.कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला राजगढ़ (DISE CODE-23300477702)	मंदसौर
4	श्रीमती विनीता मथुरिया, भृत्य (UNIQUE CODE- अप्राप्त)	शा. मा.वि. पिपरसाना गोहद जिला भिण्ड (DISE CODE- अप्राप्त)	ग्वालियर
5	श्री सूरज लाल परते, भृत्य (मीनियल) (UNIQUE CODE- AW8731)	शा. उ.मा.वि.गढ़ जिला रीवा (DISE CODE- 23450999901)	बालाघाट


2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

निरंतर.....


- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले का पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी व भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./21/2010/760
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-पन्ना/राजगढ़/ग्वालियर/मंदसौर/भिण्ड/रीवा/बालाघाट, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सभाग ग्वालियर/भोपाल/रीवा/जबलपुर/उज्जैन
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-पन्ना/राजगढ़/ग्वालियर/मंदसौर/भिण्ड/रीवा/बालाघाट।
8. प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. द्वारी, जिला पन्ना।
9. प्राचार्य, शा.कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला राजगढ़।
10. प्राचार्य, शा. उ.मा.वि.गढ़ जिला रीवा।
11. प्रधानाध्यापक, शा. मा.वि. पिपरसाना गोहद जिला भिण्ड।
12. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 23 / 2010 / 761

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री तेज सिंह ब्रेडिया, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE- AS9818)	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाहनगर, जिला पन्ना (DISE CODE- 231005OBS01)	सागर
2	श्री राजेन्द्र कुमार नखाते, भृत्य (UNIQUE CODE- BP7985)	शा. बालक उ.मा.वि. रतनगढ़, जिला नीमच (DISE CODE- 23180377709)	बालाघाट
3	श्री दिलीप सिंह ठाकुर, भृत्य (UNIQUE CODE- AH7873)	शा. उर्दु उ.मा.वि. दमोह (DISE CODE-23120377703)	सीहोर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

निरंतर.....

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./23/2010/762
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला-पन्ना/सागर/नीमच/बालाघाट/दमोह/सीहोर/रीवा/सतना, म.प्र. ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग सागर/जबलपुर/भोपाल/रीवा/उज्जैन ।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-पन्ना/सागर/नीमच/बालाघाट/दमोह/सीहोर/रीवा/सतना ।
8. कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाहनगर, जिला पन्ना ।
9. प्राचार्य, शा. बालक उ.मा.वि. रतनगढ़, जिला नीमच ।
10. प्राचार्य, शा. उर्दु उ.मा.वि. दमोह ।
11. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./18/2010/763

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती आशा शर्मा, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- BP3892)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवास (DISE CODE- 232301OBS01)	गुना
2	श्री सतीश कुमार, भृत्य (UNIQUE CODE-AL2671)	शा.मा.वि. हसी विकास खण्ड भितरवार जिला ग्वालियर (DISE CODE- 23040206502)	भिण्ड
3	श्री धर्मेन्द्र कुमार सविता, भृत्य (UNIQUE CODE- BG7033)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, लहार, जिला भिण्ड (DISE CODE-2303050BS01)	दतिया

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

निरंतर.....

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानान्तरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

7/ स्थानान्तरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानान्तरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।



आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठांक. / स्था.4 / सी / अं.जि.स्थानां. / 18 / 2010 / 764

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. कंटाक्टर, जिला-देवास / गुना / ग्वालियर / भिण्ड / दतिया, म.प्र. ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग ग्वालियर / उज्जैन ।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- देवास / गुना / ग्वालियर / भिण्ड / दतिया ।
8. कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवास ।
9. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, लडार, जिला भिण्ड ।
10. शा.मा.वि. हर्सी विकास खण्ड भितरवार जिला ग्वालियर
11. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश